

बस्तर क्षेत्र में निवासरत माड़िया जनजाति की मृतक संस्कार के अनुष्ठानिक क्रियाविधियों की परंपरा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Madhulata Bara¹, Dr. Purohit Kumar Sori²,

Dr. Sunita Sodi³, Dr. Ramdev Jurri⁴

¹*Professor & Project Coordinator, SoS. in Literature & Languages,
Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.)*

²*Assistant Professor & Project Co-Coordinator,
History Department, Govt. Gundadhur PG. College, Kondagaon (C.G.)*

³*Research Associate, SoS. in Literature & Languages,
Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.)*

⁴*Research Assistant, SoS. in Literature & Languages,
Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.)*

संक्षेपिका

माड़िया जनजाति जिसे माड़िया या मारिया गोंड़ से अभिहित किया जाता है। मध्य भारत के प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक है, जो मुख्य रूप से बस्तर (छत्तीसगढ़), महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। उनके मृतक संस्कार के रीति-रिवाज, प्रकृति-पूजा संबंधी मान्यताएँ, विश्वासों, पूर्वजों के प्रति सम्मान तथा सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब समुदाय में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो परिवार और रिश्तेदारों द्वारा एकत्रित होकर शव को नहलाकर शुद्धिकरण किया जाता है, इसके पश्चात् महुआ का तेल लगाकर पारंपरिक सफेद वस्त्रों को शव में रखा जाता है। उनकी मान्यतानुसार आत्मा को शांति से पूर्वजों के साथ मिलाने के लिए सही रीति-रिवाजों का पालन करना आवश्यक है। परंपरानुसार माड़िया समुदाय में दफनाने की प्रथा है, हालांकि आधुनिक प्रभाव स्वरूप बुजूर्ग या सम्मानित लोगों के लिए दाह संस्कार भी किया जाता है। कब्र अक्सर कुटुंब के पवित्र जंगल या जमीन के पास बनायी जाती है और एक खास दिशा (आमतौर पर पूर्व-पश्चिम) की ओर होती है। मृत व्यक्ति के औजार, गहने तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ जो उनके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, उसे कब्र के पास या कब्र में रखी जाती है, जो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास को दर्शाती है। वर्तमान समय में माड़िया जनजाति के मृत्यु संस्कार का संरक्षण व संवर्धन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कौन-कौन सी चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ हैं? इसका उल्लेख करते हुए इस लेख में माड़िया जनजाति के मृत्यु संस्कार से संबंधित गहन अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत लेख क्षेत्रीय कार्य के द्वारा प्राथमिक स्रोत से तथ्यों का संकलन किया गया है। तथ्यों का विश्लेषण गुणात्मक शोध विधि से किया गया है।

शब्द कुंजी— माड़िया जनजाति, मृतक संस्कार, परंपरा, रीति—रिवाज, अनुष्ठानिक क्रियाविधि, कोया पुनेम, गायता, सिरहा, दुःखमत्ता, दाह संस्कार, देवी—देवता, जादू—टोना, प्रकोप, प्रेतात्मा, छट्टी, नेल मुत्ते, हानाल मुदिया, हायले खोदरा, मढीही, आमल गाटो।

प्रस्तावना — मध्य भारत के जनजातीय समूह में से माड़िया समुदाय जिनके रीति—रिवाज, मान्यता और जीवन शैली में विभिन्नताएँ हैं, जो एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवासरत माड़िया जनजाति समूह जिनके मृत्यु संस्कार के रीति—रिवाज जो कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में निवास करती है (शर्मा, 2012)।¹ यह समुदाय 'कोया पुनेम' अर्थात् स्थानीय मान्यताओं का पालन करते हैं। कोया पुनेम जिसमें मृतक संस्कार के रीति—रिवाज सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माड़िया जनजाति की मान्यता "अबूझमाड़ क्षेत्र में सामान्यतः यह नियम है कि मुखिया, प्रभावशाली, सम्मानित बुजुर्गों और उनकी पत्नियों के शवों का दाह संस्कार किया जाता है, जबकि सभी सामान्य सदस्यों के शवों को दफनाया जाता है" (ग्रिगसन, 1938)।² माड़िया समुदाय के अनुसार मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, जिसमें मृतक की आत्मा पूर्वजों की दुनिया में जाती है। "मृत्यु होने के पश्चात् शरीर नष्ट होती है, किंतु उनकी आत्माएँ विचरण करती रहती है, जिससे उनका जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता है" (नुरुटी, 2012)।³ इस जनजाति में मृत्यु को जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के रीति—रिवाज न केवल मृतक को सम्मान देने के लिए किया जाता है, बल्कि जीवित और आध्यात्मिक दुनिया के मध्य सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। "मृतक इसके अपवाद नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु होने पर वे आत्मा के रूप में रहते हैं, और संतानों के रूप में उसकी पुनः उत्पत्ति पृथ्वी पर होती है" (श्रीवास्तव, 2007)।⁴ माड़िया जनजाति में जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब एक बैठक बुलाई जाती है और इसकी घोषणा ढोल और अन्य संगीत वाद्ययंत्र बजाकर की जाती है। गांव के मुखिया एवं बुजुर्ग पुरुषों द्वारा गांव के युवकों को शोक की जानकारी देने हेतु दूसरे गांवों और रिश्तेदारों के पास भेजा जाता है। माड़िया जनजाति के लोग मृत शव के सिर को पूर्व दिशा की ओर तथा पैर को पश्चिम दिशा की ओर रखते हैं।

माड़िया जनजाति की यह मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म से जीवन का प्रारंभ होती है, उसी प्रकार मृत्यु से जीवन लीला समाप्त होती है। ये दोनों ही प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम हैं। प्रकृति के इस नियम को जनजाति समुदाय के लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु जिस दिन होती है उस दिन को छोड़कर अन्य दिनों में मृतक संस्कार को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से माड़िया लोग संगीत, नृत्य और भेंट के साथ भव्य समारोह करते हैं, जो शोक और सम्मान दोनों को अभिव्यक्त करते हैं। समुदाय सामूहिक भागीदारी पर बल देता है, जिसमें रिश्तेदार और गांव के लोग मृत्यु संस्कार में शोक व्यक्त करने, मृतक के जीवन का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आते हैं। मृत्यु से संबंधित उनके अनुष्ठान, सजीवों में विश्वासों, पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रकृति तथा आत्मा की दुनिया से जुड़ाव को दर्शाते हैं। माड़िया समुदाय में मृत्यु को दो भागों

में विभाजित किया गया है – प्राकृतिक मृत्यु और अप्राकृतिक मृत्यु, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सामान्य रूप से होती है, जैसे– बुजुर्ग अवस्था, आंतरिक कारणों से मृत्यु यह सभी प्राकृतिक मृत्यु के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत व्यक्ति की मृत्यु किसी बाहरी कारणों जैसे– किसी दुर्घटना व अन्य बाहरी कारण से होती है तो उसे अप्राकृतिक मृत्यु माना जाता है। “उनका मानना है कि मृत्यु एक आकस्मिक घटना है और तथाकथित देवी–देवताओं, पूर्वजों की आत्माओं, जादू–टोने आदि का प्रकोप इसके लिए जिम्मेदार है” (विद्यार्थी और राय, 1976)।⁶ इसमें वे रीति–रिवाजों के माध्यम से नातेदारी के बंधन को मजबूत करते हैं। पारंपरिक रीति–रिवाजों को बनाए रखते हैं और प्रकृति तथा अदृश्य दुनिया के साथ संतुलन बनाए रखते हैं।

इस शोध का उद्देश्य माड़िया जनजाति में प्रचलित एवं पारंपरिक मृत्यु संस्कार के अनुष्ठानिक क्रियाविधि का विश्लेषण करना। मृत्यु संस्कार के रीति–रिवाजों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा उनके मध्य आ रही चुनौतियाँ एवं संभावनाओं को समझना है।

सामाग्री और विधि– प्रस्तुत लेख क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है। शोध अध्ययन के कुंजी सूचनादाता माड़िया जनजाति के गायता, सिरहा, पेरमा, वड़डे, पुजारी एवं बुजुर्ग व्यक्तियों से तथ्यों की जानकारी संग्रहण किया गया है। प्राथमिक स्रोत हेतु अर्ध सहभागी अवलोकन एवं साक्षात्कार शोध प्रविधि है, और द्वितीयक स्रोत के लिये शोध लेख से संबंधित पुस्तकों से तथ्यों का संकलन किया गया है। तथ्यों का विश्लेषण गुणात्मक विधि से किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र– छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर विकासखण्ड ओरछा, जिला दंतेवाड़ा से विकासखण्ड कटेकल्याण और दंतेवाड़ा तथा बीजापुर जिले से विकासखण्ड बीजापुर और भैरमगढ़ है, इन तीनों जिलों को शोध अध्ययन के लिये चयन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में परिवारों का चयन उद्देश्य मूलक प्रविधि से किया गया है। प्रत्येक जिले में से 120 परिवारों का चयन अर्थात् तीनों जिलों से कुल 360 परिवारों का चयन कर तथ्यों का संकलन किया गया है।

विवेचना –

मृत्यु के प्रकार– माड़िया समुदाय की मान्यतानुसार दो प्रकार की मृत्यु जैसे– 1. प्राकृतिक मृत्यु 2. अप्राकृतिक मृत्यु है।

1. प्राकृतिक मृत्यु– माड़िया जनजाति में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक कारणों जैसे– वृद्धावस्था, शरीर रूग्ण के आंतरिक कारणों से होती है, इसे सामान्य रूप से प्राकृतिक मृत्यु माना जाता है। माड़िया समुदाय प्राकृतिक मृत्यु से हुई मृतक संस्कार को अप्राकृतिक मृत्यु से भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं।

2. अप्राकृतिक मृत्यु– माड़िया समुदाय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बाहरी कारणों जैसे– दुर्घटना, आत्महत्या, सांप काटने, बाघ, तेंदुआ, भालू इत्यादि जंगली पशुओं के हमलों से होने वाली मृत्यु है। यह उनके जीवन का वह हिस्सा है जो विशिष्ट सामाजिक और अनुष्ठानिक चिन्ह छोड़ती है। जिसे प्राकृतिक मृत्यु तथा सामान्य चक्र से बाहर माना जाता है अक्सर

इनके लिए विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के मृत्यु होने पर विशेष शुद्धिकरण और आध्यात्मिक अनुष्ठान माड़िया जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है।

मृतक संस्कार— माड़िया जनजाति में जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है, तब परिवार, रिश्तेदार तथा ग्रामीण लोग मृतक के घर में सामान्य वार्तालाप करते हैं। इसके पश्चात् गांव में ढोल वाद्ययंत्र को बजाकर बैठक के लिये सूचित किया जाता है। गांव के पुरुष वर्गों को दूसरे गांव और उनके रिश्तेदारों को सूचना देने हेतु भेजा जाता है। सूचनादाता एक गांव के सभी घरों में जाकर सूचना देकर अंत में सूचित किए जाने वाले घर से खाना खा कर वापस अपने गांव में आते हैं। मृतक के सगा-संबंधी आने से पहले गांव के आस-पास के लोग एकत्रित होकर मृतक के सामान्य प्रक्रियाओं का संपन्न करते हैं। गांव के गायता और पेरमा को सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात् गायता के सामने पेरमा के शरीर में देव का वास कराकर देव बैठाया जाता है। पेरमा से गायता द्वारा पूछताछ की जाती है कि मृतक का दफन या दाह संस्कार पद्धति से करना चाहते हैं।

माड़िया जनजाति में दफन या दाह संस्कार के प्रकार –

1. नवजात शिशु से लेकर एक माह के बच्चों का दफन संस्कार— जिला दंतेवाड़ा के ग्राम गामावाड़ा में निवासरत 'गायता' ईरिया भास्कर के अनुसार, माड़िया समुदाय में यदि किसी नवजात बच्चे की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले गायता और पेन गायता को आमंत्रित किया जाता है। पेन गायता, गायता और पटेल मृतक नवजात शिशु के घर आकर परिवार के लोगों के साथ मिलकर अनुष्ठानिक कार्य करते हैं। पेन गायता के शरीर में पूर्वजों का वास होता है, तब गांव के गायता द्वारा पूछताछ की जाती है, कि नवजात शिशु की मृत्यु किस कारण से हुई है? यदि पूर्वज बताते हैं कि नवजात की मृत्यु काले जादू से हुई है, तो सर्वप्रथम काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय पेन गायता से पूछकर उसकी क्रियाविधि को किया जाता है, जिससे आने वाले बच्चों पर काले जादू का प्रभाव न पड़े। प्रमुख क्रियाविधि जैसे एक मुर्गी के बच्चे को चावल का दाना चुगाया जाता है। जब मुर्गी का बच्चा चावल का दाना चुग लेता है, तो माना जाता है कि काले जादू का प्रभाव आने वाले बच्चों पर नहीं पड़ेगा। यदि मुर्गी दाना नहीं चुगती है, तो यह मान्यता है कि काला जादू आने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। काले जादू को निष्क्रिय करने के लिए धान की लाई, महुआ शराब, जलते हुए कोयले का पावडर तथा धान की भूसे की रोटी इत्यादि पदार्थ को नुकसान पहुंचाने वाले देव को अर्पण किया जाता है। इसके बाद पेन गायता के शरीर में वास किये गए पूर्वज द्वारा प्रेतात्मा से वचन लिया जाता है कि आज के बाद वह परिवार के किसी भी नवजात शिशु एवं अन्य सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस प्रकार वचन लेने के बाद उस प्रेतात्मा को साजा या महुआ वृक्ष के पास छोड़ देते हैं, जिससे प्रेतात्मा परिवार एवं गांव के नवजात शिशु तथा अन्य सदस्यों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाने पाए। इसके पश्चात् नवजात शिशु को महुआ वृक्ष के नीचे दफनाया जाता है। इस समुदाय में मान्यता है, कि इस समय नवजात शिशु से लेकर एक माह के बच्चे को मां की जरूरत होती है। मां की उस कमी को महुआ का वृक्ष पूरा करे और उसे प्रकृति फिर से जन्म दे इसलिए उन बच्चों को महुआ वृक्ष के नीचे दफनाया जाता है। छठी होने के बाद यदि किसी

बच्चे की मृत्यु होती है तो स्मृति चिन्ह के रूप में पत्थर गाड़ा जाता है, यदि मृत बच्चे की छठी नहीं हुआ है तो पत्थर नहीं गाड़ते हैं।

2. दुर्घटना से मृत्यु— जब किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हुई है जैसे—सांप के काटने, पेड़ से गिरने अथवा आकाशीय वज्रपात इत्यादि है, तो गांव के गायता व सिरहा को दुर्घटना हुई स्थान पर बुलाकर ले जाते हैं। दुर्घटना हुई स्थान की मिट्टी को बाएं हाथ से उठाते हैं। उसके बाद शव को नहलाकर घर के द्वार में बांस से बने चटाई पर पूर्व दिशा की ओर सिर और पश्चिम दिशा की ओर पैर को रखा जाता है। शव को रखने के बाद गांव के गायता शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले मृतक के शरीर को टोरा का तेल (महुआ के बीजों से प्राप्त तेल) लगाकर गांव के सभी लोग बारी-बारी से टोरी का तेल लगाते हैं। इसके बाद सभी सगा-संबंधी लोग एक-एक करके कफन ओढ़ाते हैं। "मृत्यु होने पर सफेद वस्त्र मृतक के शरीर पर डालते हैं" (ठाकुर, 2016)।⁶ परिवार और दूसरे गांव के सगा-संबंधी महिलाएँ मृत व्यक्ति को याद करके रोते हैं। वे रोते हुए कहती हैं, "हाय दानी, हाय दानी, नावा काका, नावा काकी, नावा बुबा, नावा रूपा, नावा बाबा, नावा याया।" मृतक के सिर के तरफ तीन पैली धान को रखकर उसके ऊपर मिट्टी का छोटा सामान्य घड़ा रखा जाता है। कलश के दाहिने तरफ एक हंडी में चावल एवं उड़द दाल को खिचड़ी बनाकर रखते हैं। एक ओर गायता, पेरमा और दूसरी तरफ सगा संबंधियों द्वारा देह बंधन किया जाता है। जिसमें मृतक के पैर और सिर को कुल्हाड़ी से तीन बार स्पर्श कराया जात है। इसके बाद गायता शव को दफनाने के लिए पवित्र जंगल या स्थान का चयन करता है। चिन्हित किए गए स्थान पर पेरमा, गायता महुआ के फूलों को भिगोकर चढ़ाते हुए 'नेल मुत्ते' (जागा रानी) और 'हानाल मुदिया' (पूर्वजों) से कहता है, *देखिए पूर्वजों अमुख व्यक्ति के मृत शरीर को दफनाने के लिए यह पवित्र स्थान सुनिश्चित करिएगा।* यह पवित्र स्थान मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करेगा, सोचकर गांव एवं सगे-संबंधी लोग लगभग दस फिट गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे को 'हायले खोदरा' कहा जाता है। गड्ढे को खोदने के बाद गांव का एक व्यक्ति शव को लाने के लिए सूचना देने जाता है।

जब श्मशान घाट में शव को दफनाने के लिये गड्ढे खोदे जाते हैं, तब मृतक को घर से श्मशान घाट में लाने के लिये बांस एवं सिहाड़ी रस्सी से 'मढीही' तैयार किया जाता है। 'मढीही' को गांव और सगे-संबंधी लोग मिलकर तैयार करते हैं। इस तैयार 'मढीही' के ऊपर केले का पत्ता एवं धान के पुवाल (पैरा) को बिछाकर शव को रखते हैं। गायता के साथ गांव के लोग घर में शव के पास एकत्रित होते हैं, और रोते हुए महिलाओं को शव से दूरी बनाने के लिए कहते हैं। शव को चार से पांच लोग मिलकर बांधते हैं। शव को श्मशान घाट की ओर ले जाने से पहले मृतक को शुद्धिकरण करने के लिए सिर से लेकर पैर तक थोड़ा-थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं। इसके बाद शव को मृतक के पुत्र, भाई और परिवार के लोग कंधा देते हैं। यदि मृतक के पुत्र नहीं हैं तो उसकी पुत्री के द्वारा भी शव को कंधा देने का रिवाज है। शव को ले जाते समय धान, मक्के की लाई, एवं एक या दो रूपए का सिक्का (पैसा) मिलाकर बिना मुड़े पीछे की ओर फेंका जाता है। समुदाय के मान्यतानुसार यह है, कि मृतक अपने जीवन काल में जितना भी पैसा कमाया रहता है, उसका कुछ हिस्सा सम्मानपूर्वक फेंका जाता है। फेंके गये सिक्के को सगा-संबंधी, परिवार तथा गांव के लोग

उठाकर अपने पास रखते हैं। शव को ले जाते समय बीच में कंधा बदला जाता है, किंतु शव में रखे 'मढीही' को नीचे नहीं रखा जाता है।

दफनाये जाने वाले स्थान के गड्ढे में 'हायले खोदरा' में (गड्ढा) शव को दाँयें से बांयी की ओर तीन बार घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को करने की मान्यता यह है कि वह प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति में स्थित पेड़ पर बेलों का चढ़ना, नदी, तलाबों में भंवर का बनना, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे इन सभी के घूमने की दिशा दाँयें से बांयी होती है। चूंकि माड़िया जनजाति भी स्वयं को प्रकृति के पूजक मानते हैं तो वह सभी शुभ कार्यों को बांयी ओर घुमाते हुये नियमानुसार करते हैं। क्योंकि जनजाति समुदाय में शव को दफनाना भी एक शुभ कार्य माना जाता है। गड्ढे के बांयी ओर शव को रखते हैं। मृत शव के सिर को पूर्व दिशा की ओर और मृतक के पैर को पश्चिम दिशा की ओर पैर रखते हैं। मृतक शव को गड्ढे में रखने के पश्चात् गायता भीगे हुए महुए को चढ़ाते हुए कहता है, "इदरा मुयतोर अनाल आयलेर अनहा जागाबित्ती रानी इदेन मिया सूदा मिलाह किमट आदेन काजे मिकुन इरोम डोगे इहतोना" (देखो पूर्वजों और जागा रानी यह भी आपके पास आ रहा है, इसको भी सुख-शांति के साथ शामिल करो। इसलिए मैं आपको महुआ पेय का तर्पण कर रहा हूँ।) कार्य के कुछ समय बाद शव के सिर की ओर नया हंडी का कलश रखा जाता है। मृतक शव के सिर की ओर तीन भाग में खिचड़ी हनाल के नाम से दिया जाता है। उसके बाद कुछ देर तक महिलाएँ रोते हैं। रोते समय सगा संबंधी लोग शगुन के तौर पर कलश के बाजू में पैसे रखते हैं।

सगे-संबंधियों द्वारा शव के ऊपर कफन को रखा जाता है, उस शव में दो या तीन कफन रखकर सभी कफन को निकाल दिया जाता है। इसके बाद शव को गड्ढे में रखा जाता है। घर का मुखिया या मृतक का बड़ा पुत्र सबसे पहले शव को मिट्टी देता है। फिर बारी-बारी से घर के सभी सदस्य, सगा-संबंधी एवं गांव के लोग एक-एक करके मिट्टी डालते हैं। मिट्टी से गड्ढे को पूरा भरने के बाद सिरहा के कहे अनुसार गांव के सदस्य एवं सगे-संबंधी लोगों द्वारा पहाड़ से लेकर आये पत्थर को गड्ढा में रखा जाता है। मृतक के सिर की ओर एक और बड़ा लंबा पत्थर रखा जाता है, जिसे सगे-संबंधियों द्वारा लाया जाता है। यह लंबा पत्थर मृत व्यक्ति के सिर की दिशा को दर्शाता है। पत्थर रखने के ऊपर कुछ लकड़ियों को रखकर जलाया जाता है। शव को लेकर आये 'मढीही' को कुल्हाड़ी से काटकर मठ के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद एक और रस्म करते हैं जिसे कुल्हाड़ी के माध्यम से दो सगे-संबंधियों द्वारा बंधन किया जाता है। मठ के किनारे तीन बार सगे-संबंधियों द्वारा कुल्हाड़ी से खोदते हुए बंधन किया जाता है। शव के सिर की ओर महुआ या ईमली का कच्चा डंगाल गायता गाड़ता है। मान्यता यह है कि मृतक जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति से जुड़ा हुआ था और अंत में प्रकृति में ही विलिन हो गया है इसलिए महुआ और इमली के कच्चे शाखा को मृतक के सिर की ओर गाड़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया बाद मठ के किनारे की ओर मृतक के पुराने सभी कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों को जलाया जाता है, और महुआ फूल को भिगोकर 'हमाल देव' को चढ़ाते हैं। मठ के कुछ दूरी में जाकर अपने पूर्वजों को बनाए गए खिचड़ी को अर्पित किया जाता है, इसे 'आमल गाटो' कहते हैं।

मठ निर्मित किए गए स्थान पर सभी सदस्य बिना मुड़े नहाने जाकर स्वयं को शुद्धिकरण करते हैं। सभी लोग शुद्धिकरण हेतु नहाने के बाद सभी सदस्य टोरा का तेल, हल्दी अपने शरीर में लगाते हैं। मृतक परिवार के लोगों के लिए सगे-संबंधी लोग महुआ, सल्फी और छिन्द जैसे पेय पदार्थ लेकर आते हैं। मृतक परिवार वालों को भेंट देकर सभी लोग एक साथ मद्यपान का सेवन करते हैं। साथ ही साथ मृतक से संबंधित घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। यदि बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है तो, करीबी सगे-संबंधी लोग आपस में मिलकर तय करते हुए कहते हैं कि मृतक के क्रियाकर्म में मैं यह वस्तु जैसे, मुर्गा, बकरा आदि स्वेच्छा से दिए जाने की बात करते हैं। चर्चा के दौरान तय किये गए वस्तुएँ जिसे मृतक को दफनाने के दूसरे दिन लेकर आते हैं। फिर इन सभी वस्तुओं को बुजुर्ग व्यक्ति (हनाल मुदिया) के नाम से बलि देकर महुआ, सल्फी व छिन्द रस का तर्पण कर सगे-संबंधियों को प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। माड़िया समुदाय के बुजुर्गों की यह मान्यता है कि बुजुर्ग व्यक्ति अब परिवार के पूर्वजों में शामिल होंगे, इसलिए खुशी से महुआ, सल्फी, छिन्द रस का तर्पण कर मुर्गा और बकरे की बलि दिया जाता है। मृत्यु संस्कार के तीसरे दिन परंपरानुसार खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है, और इसी दिन गांव के सदस्य रिश्तेदार मृतक के परिवार के सभी सदस्यों की बैठक की जाती है, जिसमें परिवार के लोगों को समझाया जाता है कि जब वे परिवार के मुखिया थे तो न केवल परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते थे बल्कि समाज से भी जुड़े हुए थे। लेकिन वो तो चले गए, अब आप सबको परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहना है और समाज को भी साथ लेकर चलना है, इस प्रकार से बैठक में चर्चा करते हैं।

क्रियाकर्म, दशगात्र (कटडींग, कटड)— यह क्रियाकर्म एक महीने पश्चात् किया जाता है। इसमें दाल, चावल, मुर्गा, बकरा, सुअर, पेय पदार्थ एवं अन्य आवश्यक सामग्री को परिवार के सदस्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसके बाद गांव के लोग और सगे-संबंधियों को क्रियाकर्म के लिये सूचित किया जाता है। क्रियाकर्म के दिन सभी सगे-संबंधी मृतक के घर में जाते हैं। एकत्रित होने के बाद पहले देवी-देवताओं को जगाते हैं। गांव के गायता, सिरहा, पटेल, मांझी, गांव के सदस्य एवं सगे-संबंधियां एकत्रित होते हैं। सिरहा के शरीर में देवी का वास कराकर उनसे पूछताछ किया जाता है। इसमें आवश्यक सामग्री के रूप में महुआ शराब, अगरबत्ती, अण्डा, नारियल, लाली और धान की लाई, रोटी, कोयले का पिसान, चुल्हे की मिट्टी, धान की भूसे की रोटी, लोहा पत्थर और आंवले का पत्ता, साजा पत्ता, पीपल पत्ता, बांस का गोटा, कुल्थी दाल, चावल, तेंदू की लकड़ी, कुंवारी धागा, मिर्च, इमली बीज, बैंगन, टमाटर सामग्री एकत्रित कर देवी से मृत्यु के कारण की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि, मृतक की मृत्यु प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से हुई है। जिससे मृतक का क्रियाकर्म को बेहतर तरीके से सम्पन्न किया जा सके।

क्रियाकर्म के एक दिन पहले घर के मुख्य मार्ग में गोल आकार से गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में पूजा करने वाली लाली, चावल का आटा, कोयले का चूर्ण, चुल्हे की मिट्टी का चूर्ण व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, इस सामग्री को 'कुच्चा' (बांस की टोकरी) से ढक दिया जाता है और ढके हुए टोकरी के चारों किनारे ओर रेत से कवर किया जाता है। पुजारी या लेस्के के शरीर में देवी का वास कराकर बिठाकर उनसे मृतक के बारे में पूछताछ किया

जाता है। सिरहा के सहायक को गोंडी में 'लेस्की' कहा जाता है तथा इनके साथ ही पेरमा, गायता, पटेल और मांझी भी इस समय उपस्थित रहते हैं। सिरहा में जब देवी का वास होता है तब वह आवश्यक सामग्री की मांग करता है। मांग किये अनुसार सामग्री को सिरहा के सामने रखा जाता है, तब यदि वह रखे गये सामग्री जैसे का वैसे ही व्यवस्थित रूप से रहती है तो, समुदाय के लोगों की यह मान्यता है कि मृतक की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है। यदि रखी हुयी सामग्री अव्यवस्थित रूप से रहता है या उसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह मिलता है तो उसकी मान्यता यह है कि मृतक की मृत्यु जादू-टोना या अप्राकृतिक रूप से हुई है। यदि मृतक की मृत्यु जादू-टोना या बुरी आत्मा के कारण होती है, तो उस बुरी आत्मा को घर के भीतर से बाहर की ओर साजा या आंवला के पत्तों से झाड़कर निकाला जाता है। बुरी आत्मा को पत्तों से झाड़कर निकालते समय जब बुरी आत्मा घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है, तब दरवाजे के सामने भूमि में कुल्हाड़ी से एक इंच का गड्ढा खोदकर उसमें महुआ शराब भरा जाता है। फिर उसी गड्ढे से बुरी आत्मा को सिरहा पकड़ता है। बुरी आत्मा को पकड़ने के पश्चात् घर में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया जाता है और उसे बांस की डंडी का खोखला भाग (गुट्टा) व तेंदू लकड़ी से निर्मित ढक्कन (बुज्जा) बनाया जाता है, और बांस की डंडी के भीतर बुरी आत्मा को रखकर ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। पकड़े गये बुरी आत्मा को सिरहा व गायता के द्वारा गांव की सीमा रेखा के बाहर देव के निर्देशानुसार उस आत्मा को जलाते हैं या उसे ऐसे ही छोड़कर गुमराह किया जाता है। इसके पश्चात् मुर्गी को चावल का दाना चुगाया जाता है। यदि वह मुर्गी चावल का दाना चुगती है तो जो देव प्रक्रिया मृतक के लिए किया गया है वह पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है, यह मान्यता है। किंतु जब वह मुर्गी अथक प्रयासों के बावजूद भी दाना नहीं चुगती है, तो देव प्रक्रिया अभी भी सम्पन्न नहीं हुई है, यह मान्यता है।

परिचर्चा- माड़िया जनजाति में मृत्यु के बारे में मान्यताएं हैं कि लोग पारंपरिक रूप से अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं के अस्तित्व और मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता में विश्वास करते हैं। पूर्वज जीवित लोगों की रक्षा या उन्हें दंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह समुदाय की मान्यता है। इनमें बीमारी और मृत्यु को अक्सर आत्माओं की नाराजगी या जादू-टोने का परिणाम माना जाता है। इस समुदाय में आर्थिक स्थिति और मृत्यु की परिस्थितियों के आधार पर मृत शव को दफन करने के तरीकों में भिन्नताएँ हैं। गांव के मुखिया, व्यस्क अवस्था के स्त्री-पुरुष वर्ग और सम्मानित लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। जबकि शिशु, अविवाहित वर्ग और जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है उन्हें दफनाया जाता है। मृतक संस्कार के रीति-रिवाज में मृत शरीर की तैयारी की जाती है। मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर टोरा का तेल लगाया जाता है और सफेद कपड़ों से लपेटा जाता है। रिश्तेदार और समुदाय के सदस्य शोक व्यक्त करने के लिए मृतक के घर में एकत्रित होते हैं। मृत व्यक्ति की आत्मा और पूर्वजों को शांति प्रदान करने के लिये भोजन, महुआ शराब, अनाज और मुर्ग की बलि दिया जाता है। यदि दाह संस्कार किया जाता है, तो समुदाय द्वारा लकड़ियों को एकत्रित किया जाता है और मृतक के चिता को अग्नि सबसे बड़ा पुत्र तथा पुत्र नहीं होने की स्थिति में परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा दिया जाता है। यदि शव को दफनाया जाता है तो कब्र को पूर्व-पश्चिम दिशा की ओर रखा

जाता है। मृतक व्यक्ति के द्वारा उपयोग औजार जैसे तीर, धनुष, कुल्हाड़ी और निजी वस्तुओं को कब्र के पास रख दिया जाता है।

संरक्षण एवं संवर्धन— माड़िया समुदाय के लोगों में विश्वास बनाए रखना और उनमें नेतृत्व क्षमता को विकसित कर उनके संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है। और संस्कारों के रीति-रिवाजों की जानकारी रखने वाले बुजुर्गों, पुरुष, महिलाएँ, युवा पीढ़ी एवं स्थानीय लोगों को शामिल करके एक समुदाय की उत्तराधिकार समिति बनाया जा सकता है। मृत्यु संस्कार से संबंधित सभी लोक परंपराओं, लोक गीतों का लिखित और विडियो ग्राफी के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर रीति-रिवाजों के क्रियाविधि का संरक्षण किया जा सकता है। जनजाति पूर्वजों को याद करते समय बोले जाने वाले शब्दों, उपयोगी वस्तुएं, उनके अर्थ, निषेध, अनुष्ठान से जुड़े स्थान और मौखिक इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो, वीडियो और फील्ड नोट्स के उपयोग से भी संरक्षित किया जा सकता है। जब दस्तावेजीकरण हो जाए तो मूल प्रतियाँ माड़िया समुदाय के पास सुरक्षित रखा जाये या समुदाय की पहुँच के अनुसार किसी विश्वसनीय स्थानीय जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन केंद्र में प्रतियाँ जमा कर इनकी अनुष्ठानिक विधियों का संरक्षण कर संवर्धन कर सकते हैं। माड़िया समुदाय के युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षण या कार्यशाला के माध्यम से मृतक संस्कार के पारंपरिक रीति-रिवाज व अनुष्ठानिक क्रियाओं से अवगत करायेँ जिससे उनके सामाजिक पहचान के लिये यह संस्कार उनके लिये कितना आवश्यक है।

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ— माड़िया जनजाति के मृत्यु संस्कार की परंपराओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ हैं। आधुनिकीकरण, शहरीकरण, प्रवास एवं संस्कृतिकरण उनके पारंपरिक प्रथाओं को प्रभावित कर रही हैं। भविष्य की युवा पीढ़ियों द्वारा मृत्यु संस्कार के रीति-रिवाजों को पूरी तरह से नहीं सीख पाना या उसकी महत्वपूर्णता को न समझ पाना, जिस कारण वह अपने ही संस्कृति परंपरा से पिछड़ रहे हैं जो उनके लिये सबसे बड़ी चुनौतिपूर्ण है। समुदाय के लोगों को वन कानून अक्सर पवित्र पेड़ों या अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों (लकड़ी, बांस, दफनाने के लिए जमीन) तक पहुँच को रोकते हैं। वनों की कटाई और जमीन पर कब्जा होने से दफनाने के लिए स्थान में कमी होती है। आधुनिक परिवर्तनों से परिवारों में खर्च बढ़ा है, जिससे उनमें यह जिम्मेदारी बढ़ी है। माड़िया समुदाय के मृतक संस्कार में कई संभावनाएँ और अवसर हैं। समुदाय का सांस्कृतिक पुनरुत्थान और दस्तावेजीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। मौखिक परंपरा, लोकगीत और अनुष्ठानिक क्रियाओं के विधियों का अभिलेखन कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान को संरक्षित किया जा सकता है। संस्कृति के पारंपरिक ज्ञान की जानकारी रखने वाले स्थानीय अनुभवी लोगों और बुजुर्गों द्वारा युवाओं को मृत्यु संस्कार की प्रथाओं के बारे में सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मिश्रित प्रतिमान मूल मान्यताओं को त्यागे बिना परंपराओं को अनुकूलित कर सकते हैं। वनों या पवित्र स्थानों में पैतृक अनुष्ठानों का पालन करने के लिए आदिवासी अधिकारों की वकालत की जा सकती है। कानूनी और नीतिगत मान्यताओं को समान्यीकरण करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक विरासत और विविधता के व्यापक विमर्श में माड़िया रीति-रिवाजों को शामिल करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष— माड़िया जनजाति समुदाय में मृत्यु को जीवन का एक प्रमुख अंग माना गया है इस जगत में मृतक संस्कार के रीति-रिवाज जीवित और मृतात्माओं के मध्य गहरे संबंध को दर्शाते हैं। इनमें नवजात शिशु की देहावसान होने पर उनके शव को महुआ वृक्ष के नीचे दफनाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की मृत्यु वृद्धावस्था या भिन्न-भिन्न बीमारियों के कारणों से होती है, तो इसे प्राकृतिक मृत्यु माना जाता है। जबकि किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना या बाहरी कारणों से होती है, तो उसे अप्राकृतिक मृत्यु माना जाता है। उनके इन रिवाजों में पूर्वजों का सम्मान, मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता में विश्वास और शोक में समुदाय की भागीदारी का महत्व शामिल है। शरीर को संभालने से लेकर अंतिम संस्कार तक हर अनुष्ठान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतक की आत्मा शांति से देवलोक गमन और जीवितों के बीच सद्भावना बनी रहे। ये परंपराएँ न केवल सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती हैं, बल्कि सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती हैं और माड़िया जनजाति के सम्मान, स्मृति और आध्यात्मिक संतुलन जैसे मूल्यों को भी दर्शाती हैं।

आभार ज्ञापन रू प्रस्तुत शोध पत्र "समकालीन परिप्रेक्ष्य में माड़िया जनजाति का शिल्पकला और लोकपरंपराओं की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ (छत्तीसगढ़ के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)" शीर्षक से संचालित शोध परियोजना पर आधारित है, जिसे ICSSR, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित किया गया (फाइल संख्या – ICSSR/RPD/RPR/2023-24/43) है। सभी लेखकों के द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता एवं सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. शर्मा, डॉ. ब्रम्हदेव. (2012). आदिवासी विकास एक सैद्धान्तिक विवेचन. भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
2. ग्रिगसन, डब्ल्यू. वी. (1938). *द माड़िया गोंडस ऑफ बस्तर*. लंदन: हम्फ्री मिफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. नुरुटी, डॉ. किरण. (2012). *बस्तर के गोंड जनजाति की धार्मिक अवधारणा*. नागपुर : गोड़ी साहित्य परिषद.
4. श्रीवास्तव, डॉ. ए. आर. एन. (2007). *जनजातीय शरत*. भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
5. विद्यार्थी, एल. पी. और कुमार, बीनय, राय. (1976). *द ट्राईबल कल्चर ऑफ इंडिया*. कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली
6. ठाकुर, केदारनाथ, पं. (2016). *बस्तर भूषण अर्थात् बस्तर राज्य का वर्णन*. नवकार प्रकाशन कांकेर छत्तीसगढ़.



परिशिष्ट :

शब्दकोश		
क्र.	गोंडी बोली	हिन्दी अनुवाद
1	नेल मुत्ते (जागा रानी)	देवी
2	हानाल मुदिया	पूर्वज
3	हायले खोदरा	शव को दफनाए जाने वाला गड्ढा
4	मढीही	बांस से निर्मित अस्थायी चारपाई (अर्थी)
5	आमल गाटो	खिचड़ी (भोजन)
6	कुच्चा	टोकरी
7	गुट्टा	खंभा
8	बुज्जा	ढक्कन
9	दुःखमत्ता	मृत्यु होना